झारखण्ड सरकार
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग,
कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची–834010.

स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा– 2016

आवश्यक सूचना

संख्या :– 1664 राँची, दिनांक 23.08.2017

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र एवं इतिहास के पदों पर भर्ती हेतु योग्य उम्मीदवारों के चयन के निमित्त विज्ञापन संख्या 20/2016 प्रकाशित करते हुए दिनांक 01.12.2016 से 16.01.2017 तक ऑन लाईन आवदेन पत्र आमंत्रित किए गये थे। उपर्युक्त तीनों पदों पर नियुक्ति हेतु मुख्य परीक्षा दिनांक 19.02.2017 को दो पालियों में आयोजित की गई थी। तत्पश्चात मेधा क्रमानुसार अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक सत्यापन हेतु दिनांक 07.06.2017 से 13.06.2017 तक आमंत्रित किया गया। उक्त जाँच में अपने दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों को वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु जाँच की तिथि से एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया। उक्त निर्धारित जाँच में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु 05.07.2017 को आमंत्रित करते हुए उनके प्रमाण पत्रों की जाँच की गई तथा इस तिथि को अपने दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए 12.07.2017 तक का अतिरिक्त समय दिया गया।

2. उक्त अवधि में समर्पित प्रमाण पत्रों के परिप्रेक्ष्य में अभ्यर्थियों के दावे की जाँच की गई तथा उनके द्वारा किया गया दावा प्रमाणित नहीं होने पर उनकी सूची आयोग के वेब साईट पर दिनांक 13.08.2017 को प्रकाशित करते हुए दिनांक 21.08.2017 के 4.00 बजे तक उन्हें कारण दर्शाने का अंतिक अवसर दिया गया।

3. उपर्युक्त पदों में पात्रता/शैक्षणिक अहर्त्ता/आरक्षण इत्यादि की शर्ते संक्षेप में तद्हेतु प्रकाशित विज्ञापन एवं विस्तृत शर्ते उक्त विज्ञापन से सम्बन्धित विवरणिका में अंकित की गई हैं। आरक्षण सम्बन्धी विस्तृत शर्ते विवरणिका की कंडिका 9 में अंकित करते हुए विज्ञापन की कंडिका 11 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि **''आवदेकों को सूचित किया जाता है कि आवेदन Submit करने के पूर्व भरे गये आवेदन को ठीक से देख लें। यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार कर ही आवेदन Submit करें। एक बार आवेदन Submit करने के पश्चात् वैसी कोई भी प्रविष्टियाँ, जो परीक्षाफल को प्रभावित करती है, में कोई बदलाव/सुधार का दावा मान्य नहीं किया जायेगा।''**

4. विज्ञापन की कंडिका 3 में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया है कि परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व आवेदक यह सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर विवरणिका में प्रकाशित सभी शर्त्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नही करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पदो पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच करेगा।

5. पात्रता/आरक्षण/आयु सीमा इत्यादि की शर्ते निम्नवत् निर्धारित है :–

क) **आरक्षण**:–यथा विवरणिका की कंडिका– 9 में निहित

(I) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(II) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को ही देय होगा। झारखण्ड राज्य के बाहर के सभी उम्मीदवार अनारक्षित/सामान्य वर्ग के माने जायेंगे।

(III) झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले झारखण्ड के स्थानीय निवासी उम्मीदवार को निम्न प्रमाण–पत्र आयोग द्वारा प्रमाण–पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा।

(IV) जाति प्रमाण पत्र– जिला/अनुमंडल के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी से विहित–प्रपत्र में अद्यतन निर्गत जाति प्रमाण–पत्र।

(V) अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची–1 तथा पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2 के लिए दिनांक– 31.03.2013 के पश्चात् निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

(VI) जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का दावा करने की स्थिति में संबंधित कॉलम के नीचे एक ड्राप बॉक्स खुलेगा जिसमें आवेदक अपने जाति प्रमाण पत्र की संख्या, तिथि तथा उसे निर्गत करने वाले प्राधिकार का पदनाम अंकित करेंगे।

जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र परिशिष्ट– I एवं II के रूप में विवरणिका में संलग्न है।

सक्षम स्तर से भिन्न तथा विवरणिका के साथ संलग्न प्रपत्र से भिन्न किसी प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। सक्षम स्तर से भिन्न स्तर एवं विवरणिका के साथ संलग्न प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में तथा जाति प्रमाण पत्रों की गलत संख्या/तिथि उसे जारी करने वाले प्राधिकार का पदनाम अंकित करने पर ऐसे आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया जायेगा जिसके लिए संबंधित आवेदक ही उत्तरदायी होंगे।

ख) शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता यथा विज्ञापन की कंडिका 4 में अंकितः–

(I) **विहित शैक्षणिक योग्यताः–** ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि को राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय, जिसमें नियुक्ति होनी है, में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री होगी परन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री होगी।

(II) **विहित तकनीकी योग्यताः –** मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी0एड अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा बी0एड0 के समकक्ष घोषित डिग्री परन्तु वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिये हों तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, को शिक्षक नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी जायेगी परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण का परीक्षाफल झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति की परीक्षाफल के प्रकाशन की तिथि के पूर्व आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा तक समर्पित करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात आयोग द्वारा उसकी अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराई जा सकेगी।

ग) आयु सीमा यथा विज्ञापन की कंडिका 8 में अकितः–

आयु सीमाः– उम्र की गणना दिनांक– 01.01.2016 के आधार पर की जायेगी।

न्यूनतम उम्र – 21 वर्ष ।
अधिकतम उम्र ः–

(क) अनारक्षित/सामान्य– 40 वर्ष।
(ख) महिला (अनारक्षित, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– 2)– 43 वर्ष।
(ग) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– 1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2)– 42 वर्ष।
(घ) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति (पुरूष एवं महिला)– 45 वर्ष
(ङ) सभी कोटि के दिव्यांग (निःशक्त) अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 (पॉच) वर्षों की छूट दी जायेगी।

घ) झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में अहर्त्ता प्राप्त 3 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिक्षकों की स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर नियुक्ति की रिक्तियाँ विज्ञापन की कंडिका 2 (II) में अंकित है। इसी कंडिका से स्पष्ट है कि वैसी रिक्तियाँ झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए है। तत्सम्बन्धी अनुभव विज्ञापन की कंडिका 7 में निम्नरूपेण विहित हैः–

अनुभव :— सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए 03 वर्षों का शैक्षणिक कार्यानुभव परन्तु, वैसे शिक्षक आवेदन देने के पात्र नहीं होगें जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अथवा आपराधिक कार्यवाही लंम्बित हो या जिनके विरुद्ध संसूचित शास्ति प्रभावी हो। अनुभव एवं अन्य स्वच्छता संबंधी प्रमाण पत्र विद्यालय के प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा एवं इस प्रमाण पत्र की संख्या, तिथि तथा निर्गत करने वाले प्राधिकार की प्रविष्ट आवेदन पत्र में विहित स्थान पर संबंधित शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा की जायेगी।

6. उपर्युक्त शर्त्तो के सापेक्ष अभ्यर्थियों से प्राप्त कारण पृच्छा की समीक्षा की गई। तत्सम्बन्धी आपत्तियाँ, अभ्यर्थियों का अभिकथन तथा आयोग का निर्णय निम्न विवरणी में अंकित है:—

स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक — भौतिक शास्त्र (सीधी भर्ती)				
क्र॰ स॰	अनुक्रमांक / जन्म तिथि	आपत्ति	अभ्यर्थी का अभिकथन	समीक्षा एवं आयोग का निर्णय
1	2	3	4	5
1	11010034 19-Feb-75	आवेदन पत्र में आरक्षण कोटि पिछड़ा वर्ग अनुसूची -II का दावा किया गया परन्तु प्रमाण पत्र अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची–I का समर्पित किया गया।	अभ्यर्थी द्वारा वर्ष 2010 में निर्गत पि॰व॰अनु॰ 2 के एक जाति प्रमाण पत्र की प्रति दी गई है जिसमें क्रिमी लेयर स्पष्ट नहीं है तथा यह विवरणिका के साथ संलग्न प्रपत्र में नहीं है। इनके द्वारा 23.01.2017 को निर्गत अ॰पि॰व॰ अनु॰ 1 का एक प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत की गई है।	उपर्युक्त कंडिका 3 एवं 5 में अंकित शर्त्तो के आलोक में वर्ष 2010 का जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। तद्नुसार अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि तक सीमित की जाती है।
2	11010871 16-May-85	भौतिक शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारित नहीं करते हैं।	कारण पृच्छा अप्राप्त	भौतिक शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारित नहीं करने के कारण अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
3	11010874 08-Jun-85	भौतिक शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारित नहीं करते हैं।	कारण पृच्छा अप्राप्त	भौतिक शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारित नहीं करने के कारण अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
4	11010908 21-Sep-85	बी॰एड॰ प्रमाण पत्र निर्धारित तिथि तक का प्रस्तुत नहीं किया गया। सत्र 2015–2017 में अध्ययनरत हैं।	अभ्यर्थी द्वारा बी॰एड॰ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई है। बी॰एड॰ का सत्र 2015–2017 के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है।	उपर्युक्त कंडिका 5 (ख) (II) की शर्त्तें पूरी नहीं करने के कारण इनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
5	12010007 17-Jun-89	अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत पिछड़ा वर्ग अनुसूची -II का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जो सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र नहीं है।	आवेदन के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा प्रदत पि॰व॰अनु॰ 2 का प्रमाण पत्र संख्या 29 दिनांक 18.08.2017 समर्पित किया गया है। इसमें क्रिमी लेयर अंकित नहीं है। अंचलाधिकारी के प्रमाण पत्र में क्रिमी लेयर स्पष्ट है।	सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र में क्रिमी लेयन सम्बन्धी प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण अभ्यर्थिता अनारक्षित वर्ग तक सीमित किया जाता है।
6	12010224 10-Jul-90	बी॰एड॰ प्रमाण पत्र निर्धारित तिथि तक का प्रस्तुत नहीं किया गया। सत्र 2015–2017 में अध्ययनरत हैं।	कारण पृच्छा अप्राप्त	उपर्युक्त कंडिका 5 (ख) (II) की शर्त्तें पूरी नहीं करने के कारण इनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
7	12010423 07-Mar-92	स्नातकोत्तर परीक्षा वर्ष 2017 में उतीर्ण जो विज्ञापन की शर्त्तो के अनुरूप नहीं है।	आवेदन पत्र देने के समय अभ्यर्थी M.Sc अंतिम वर्ष के छात्र थे। उन्होंने आवेदन में Appearing अंकित किया है। वर्त्तमान में उनके पास B.Ed., M.Sc. दोनो योग्यता है।	विवरणिका की कंडिका 6 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण ऑन लाईन आवेदन देने की अंतिम तिथि के आधार पर करने की शर्त्त अंकित है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 16.01.2017 थी तथा आवेदक सत्र वर्ष 2015–2017 में M.Sc के छात्र थे। अतः विहित तिथि को शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करने के कारण अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।

स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक – भौतिक शास्त्र (झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विधालयों के शिक्षकों के लिए कर्णांकित रिक्ति के विरूद्ध)

क्र॰ स॰	अनुक्रमांक / जन्म तिथि	आपत्ति	अभ्यर्थी का अभिकथन	समीक्षा एवं आयोग का निर्णय
1	2	3	4	5
1	11010220 05-Jul-78	झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विधालय से भिन्न विधालय में शैक्षणिक अनुभव है।	कारण पृच्छा अप्राप्त	अभ्यर्थी को झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालय में शैक्षणिक कार्यानुभव नहीं है। अतः अभ्यर्थिता सीधी भर्ती तक सीमित की जाती है।
2	11010541 01-Mar-82	*तदैव*	अभ्यर्थी ने स्वीकार किया है कि वे एक विद्यालय में वर्ष 2010 से 2012 तक पारा शिक्षक तथा केन्द्रीय विद्यालय में वर्ष 2012–2014 तक शिक्षण कार्य कर चुके हैं। उन्हें सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थिता सीमित करने में आपत्ति नही है साथ ही उन्होंने अनुभव के आधार पर प्राथमिकता की मांग की है।	अभ्यर्थी को झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालय में शैक्षणिक कार्यानुभव नहीं है। अतः अभ्यर्थिता सीधी भर्ती तक सीमित की जाती है।
3	11010756 15-Apr-84	*तदैव*	कारण पृच्छा अप्राप्त	अभ्यर्थी को झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालय में शैक्षणिक कार्यानुभव नहीं है। अतः अभ्यर्थिता सीधी भर्ती तक सीमित की जाती है।
4	11010951 15-Jan-86	झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विधालय में वांछित शैक्षणिक अनुभव नहीं है तथा भौतिक शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारित नहीं करते हैं। स्नातकोत्तर विषय के आधार पर सीधी भर्ती के लिए भी अभ्यर्थिता स्थापित नहीं होती है।	अभ्यर्थी द्वारा यह कहा गया है कि M.Sc Physics एवं M.Sc Electronics की उपाधियाँ PGT Physics के पद पर भर्ती के लिए समकक्ष हैं। उन्होंने राजस्थान / उत्तर प्रदेश / केन्द्रीय विद्यालय का उद्हरण प्रस्तुत किया है।	उपर्युक्त कंडिका 5 (ख) (I) की शर्त्तें पूरी नहीं की जाती हैं। अतः इनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
5	11011142 24-Jun-87	*तदैव*	इन्होंने M.Sc. & B.Ed. के Provisional Certificate की प्रति उपलब्ध करायी है। इनके द्वारा झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालय में शैक्षणिक कार्यानुभव के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है।	अभ्यर्थी को झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालय में शैक्षणिक कार्यानुभव नहीं है। अतः अभ्यर्थिता सीधी भर्ती तक सीमित की जाती है।
6	11011155 03-Aug-87	झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विधालय में वांछित शैक्षणिक अनुभव नहीं है।	कारण पृच्छा अप्राप्त	अभ्यर्थी को झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालय में शैक्षणिक कार्यानुभव मात्र 1 वर्ष 5 माह का है। अतः अभ्यर्थिता सीधी भर्ती तक सीमित की जाती है।

स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक – रसायन शास्त्र (सीधी भर्ती)

क्र॰ स॰	अनुक्रमांक / जन्म तिथि	आपत्ति	अभ्यर्थी का अभिकथन	समीक्षा एवं आयोग का निर्णय
1	2	3	4	5
1	14020397 15-Jan-83	बी॰एड॰ प्रमाण पत्र निर्धारित तिथि तक का प्रस्तुत नहीं किया गया। सत्र 2015–2017 में अध्ययनरत हैं।	अभ्यर्थी द्वारा बी॰एड॰ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई है। बी॰एड॰ का सत्र 2015–2017 के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है।	उपर्युक्त कंडिका 5 (ख) (II) की शर्त्तें पूरी नहीं की जाती हैं। अतः इनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
2	16020342 12-Nov-88	बी॰एड॰ प्रमाण पत्र निर्धारित तिथि तक का प्रस्तुत नहीं किया गया। सत्र 2015–2017 में अध्ययनरत हैं।	अभ्यर्थी द्वारा बी॰एड॰ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई है। बी॰एड॰ का सत्र 2015–2017 के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है।	उपर्युक्त कंडिका 5 (ख) (II) की शर्त्तें पूरी नहीं की जाती हैं। अतः इनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।

स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक – रसायन शास्त्र (झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विधालयों के शिक्षकों के लिए कर्णांकित रिक्ति के विरूद्ध)

क्र॰ स॰	अनुक्रमांक / जन्म तिथि	आपत्ति	अभ्यर्थी का अभिकथन	समीक्षा एवं आयोग का निर्णय
1	2	3	4	5
1	13020012 08-Oct-73	झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विधालय से भिन्न विधालय में शैक्षणिक अनुभव है। साथ ही सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु है।	अभ्यर्थी का कहना है कि उन्हें उत्क्रमित उच्च विद्यालय में शैक्षणिक कार्यानुभव है जिसका प्रमाण पत्र समर्पित करने के लिए उन्होंने अतिरिक्त समय की मांग की है। अधिकतम आयु सीमा से अधिक उम्र के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया।	अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के सदस्य हैं। विज्ञापन की शर्त्तो के अनुसार इस कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 42 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित है। सन्दर्भ तिथि 01.01.2016 को आयु 42 वर्ष 2 माह से अधिक होने के कारण भर्ती के अयोग्य तद्नुसार अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
2	13020283 16-Feb-78	झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विधालय से भिन्न विधालय में शैक्षणिक अनुभव है।	अभ्यर्थी ने स्वीकार किया है कि वे प्राईवेट विद्यालय में शिक्षण कार्य कर चुके हैं। उन्हें सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थिता सीमित करने में आपत्ति नही है।	अभ्यर्थी को झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालय में शैक्षणिक कार्यानुभव नहीं है। अतः अभ्यर्थिता सीधी भर्ती तक सीमित की जाती है।
3	13020329 12-Jul-78	*तदैव*	कारण पृच्छा अप्राप्त	अभ्यर्थी को झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालय में शैक्षणिक कार्यानुभव नहीं है। अतः अभ्यर्थिता सीधी भर्ती तक सीमित की जाती है।
4	15020038 06-Sep-83	*तदैव*	कारण पृच्छा अप्राप्त	अभ्यर्थी को झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालय में शैक्षणिक कार्यानुभव मात्र 1 वर्ष 5 माह का है। अतः अभ्यर्थिता सीधी भर्ती तक सीमित की जाती है।
5	15020250 03-May-85	*तदैव*	कारण पृच्छा अप्राप्त	अभ्यर्थी को झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालय में शैक्षणिक कार्यानुभव नहीं है। अतः अभ्यर्थिता सीधी भर्ती तक सीमित की जाती है।
6	15020402 15-Aug-86	*तदैव*	मधुपुर महाविद्यालय, देवधर में शैक्षणिक कार्यानुभव जो जैक से अनुमति प्राप्त है। अभ्यर्थी को झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विधालयों से भिन्न संस्थान में शैक्षणिक कार्यानुभव है।	अभ्यर्थी झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विधालय में शैक्षणिक अनुभव धारित नहीं करते है। अतः इनकी अभ्यर्थिता सीधी भर्ती तक सीमित की जाती है।

स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक – इतिहास (झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विधालयों के शिक्षकों के लिए कर्णांकित रिक्ति के विरूद्ध)

क्र॰ स॰	अनुक्रमांक / जन्म तिथि	आपत्ति	अभ्यर्थी का अभिकथन	समीक्षा एवं आयोग का निर्णय
1	2	3	4	5
1	18030250 10-Oct-74	कस्तुरबा विधालय में मानदेय पर कार्यरत एवं अनुभव जिन्हें झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विधालय के शिक्षक के सदृश्य नहीं माना जा सकता है।	अभ्यर्थी का कहना है कि उन्होंने सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षकों की रिक्ति तथा सीधी भर्ती की रिक्ति दोनो के लिए आवेदन दिया है। उन्हें सीधी भर्ती के पद के विरूद्ध नियुक्त होने में आपत्ति नहीं है।	कस्तुरबा विधालय में मानदेय पर कार्यरत एवं तत्सम्बन्धी शैक्षणिक अनुभव के सापेक्ष अभ्यर्थिता सीधी भर्ती तक सीमित की जाती है।
2	19030291 03-Jul-76	झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विधालय में शैक्षणिक कार्य का वांछित अनुभव नहीं है।	कारण पृच्छा अप्राप्त	अभ्यर्थी को झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालय में शैक्षणिक कार्यानुभव नहीं है। अतः अभ्यर्थिता सीधी भर्ती तक सीमित की जाती है।

3	21030448 17-Nov-78	झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विधालय से भिन्न विधालय में शैक्षणिक अनुभव है।	अभ्यर्थी ने स्वीकार किया है कि उन्हें झारखण्ड सरकार के सरकारी विद्यालय में शैक्षणिक अनुभव नहीं है। उन्हें सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थिता सीमित करने में आपत्ति नही है।	अभ्यर्थी को झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालय में शैक्षणिक कार्यानुभव नहीं है। अतः अभ्यर्थिता सीधी भर्ती तक सीमित की जाती है।
4	27030355 20-Dec-82	झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विधालय में शैक्षणिक कार्य का वांछित अनुभव नहीं है।	कारण पृच्छा अप्राप्त	अभ्यर्थी को झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालय में शैक्षणिक कार्यानुभव मात्र 1 वर्ष 3 माह का है। अतः अभ्यर्थिता सीधी भर्ती तक सीमित की जाती है।
5	29030530 05-Mar-84	मॉडल विधालय में प्रति घंटी मानदेय पर कार्यरत एवं अनुभव जिन्हें झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विधालय के शिक्षक के सदृश्य नहीं माना जा सकता है।	कारण पृच्छा अप्राप्त	अभ्यर्थी को झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालय में शैक्षणिक कार्यानुभव नहीं है। अतः अभ्यर्थिता सीधी भर्ती तक सीमित की जाती है।
6	34030747 01-Jul-88	काशी साहु कॉलेज, सरायकेला में कार्यरत एवं तत्सम्बन्धी प्राचार्य का प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। प्राचार्य के प्रमाण पत्र को ही ऑन लाईन आवेदन पत्र में जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रमाण पत्र के रूप में अंकित किया गया।	कारण पृच्छा अप्राप्त	अभ्यर्थी को झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालय में शैक्षणिक कार्यानुभव नहीं है। अतः अभ्यर्थिता सीधी भर्ती तक सीमित की जाती है।

प्रमाण पत्रों के सत्यापन कार्यक्रम में अनुपस्थित निम्नलिखित अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों के अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है :–

पद स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक – भौतिक शास्त्र
11010088, 11010168, 11010208, 11010493, 11010807, 11010859, 11011064, 12010465.

पद स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक – रसायन शास्त्र
13020008, 14020065, 14020152, 14020237, 14020245, 15020080, 15020282, 15020297, 15020325, 16020452, 17020134, 17020140, 17020247, 17020303.

पद स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक – इतिहास
18030077, 18030330, 19030131, 19030134, 19030246, 19030408, 21030197, 21030234, 21030481, 21030482, 22030527, 22030623, 23030007, 24030459, 25030328, 26030339, 27030092, 28030196, 31030693, 32030600, 34030284, 35030163.

ह०/–
परीक्षा नियंत्रक।